6

अंचल अधिकारी तोपचांची का कार्यालय

अभिलेख वाद संख्या- 38(VI) 2016-17

वाद का प्रकार- बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि0 1950 की धारा 4(h) के तहत् जांच एवं कार्रवाई से संबंधित।

झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक-2074 / रा0, दिनांक 13.05.2016 सहपठित-श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खा0म0निति-119 / 85 / 2308 / रा0, दिनांक-03.09.1986 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या-914 / रा0, दिनांक-09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जामबंदियों की जांच प्रारंभ की गयी। जांच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अ0नि0द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :-

मौजा- करमाटोंड़ थाना- 130 खाता संख्या- 36 प्लॉट संख्या 423 रकबा 0.34 एकड की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-II के जिल्द संख्या- 1 के पृष्ठ संख्या- 51, पर जमाबंदी रैयत चरकु महतो पिता लुटू महतो के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरिक्षक द्वारा जांचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरूद्ध कायम जामबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरिक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/ अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध कोड़कर बंदोबस्ती के अधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/ सादा हुकुमनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत् जांच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण-पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत् सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक- 03/8/16 को उपस्थापित करें।

लेखापित एवं संशोधित

अंचल अधिकारी

अंचल अधिकारी
तोपचांची

E:\Sec 5 New\Awaidh Jamabandi.docx

Scanned with CamScanner

	पुनश्चः
27.4.20	अभिलेख उपस्थापित। कोबिड –19 में व्यस्तता रहने के कारण अभिलेख कार्रवाई नहीं किया जा सका। अभिलेख दिनांक ...14.07.2020.......को रखें।
	अंचल अधिकारी, तोपचाँची।
14.7.20	अभिलेख उपस्थापित। कोबिड –19 के तहत विधि –व्यवस्था में व्यस्तता रहने के कारण अभिलेख का कार्रवाई नहीं किया जा सका। अभिलेख दिनांक 13.10.2020 को रखें।
	अंचल अधिकारी, तोपचाँची।
13.10.20	अभिलेख उपस्थापित। जमाबंदी रैयत को नोटिस करें। अभिलेख दिनांक 28.11.2020 को रखें।
	अंचल अधिकारी, तोपचाँची।

Scanned with CamScanner

अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप निरीक्षक का प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त। नोटिस का तामिला प्राप्त। नोटिस के आलोक में किसी जमाबंदी रैयत या उनके वंशज द्वारा आपत्ति और ना ही राजस्व कागजात समर्पित करने हेतु समय का मॉग किया गया है। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जॉच प्रतिवेदन में उल्लेखित है कि मौजा कल्याणपुर मौजा नं0 130 खाता नं0 36 .. प्लॉट नं0 423 .... रकबा 0.34 से संबंधित है, जो खतियान के अनुसार गैरमजरूआ खाते की भूमि है। जिसका पजी ।। के जमाबंदी भोलुम नं0 I के पृष्ट सं0 51 में रैयत चारकु महतो सा0 – कल्याणपुर के नाम से कायम है। उपरोक्त जमाबंदी के प्रॉधिकार कॉलम में , बिना सक्षम प्राधिकार के आदेष के / अवैध लगान निर्धारण के आधार पर /सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसका उद्वेष्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

उपरोक्त प्रतिवेदन के आलोक में स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि की विवरणी की सृजित जमाबंदी अवैध / संदिग्ध प्रतित होता है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे रद्द करने की अनुषंसा किया जाता है। साथ ही, अभिलेख की कार्रवाई को समाप्त किया जाता है। अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु भूमि सुधार, उप समाहर्ता, धनबाद को भेजें।

लेखापित एवं संषोधित।

28/11/20
अंचल अधिकारी,
तोपचॉची।

28/11/20
अंचल अधिकारी,
तोपचॉची।

Scanned with CamScanner

संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन

1. संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :– चरकू महतो आ० पिता लुटू महतो
2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरण :–

मौजा	थाना सं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा
करमागोड़ा	130	36	423	0.3420

3. जमाबंदी पंजी–II के जिल्द संख्या I पृष्ठ सं0– 51 पर कायम है
4. जमाबंदी किस वर्ष कायम है – दर्ज नहीं है
5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम :– गैर आबाद खास
6. किस सक्षम प्राधिकार / पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है दर्ज नहीं है.
7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम X
8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनिबंधित सादा हुकुमनामा / लगान निर्धारण / अवैध भूबंदोबस्ती – ~~अनिबंधित सादा हुकुमनामा~~
9. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई (भूतपूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न / बन्दोबस्ती पंजी / लगान निर्धारण पंजी / भू–हस्तांतरण पंजी) बंदोबस्ती पंजी में दर्ज नहीं है
10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एवं वर्ष –

क्र0 संख्या	लगान रसीद संख्या	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
1	080194	31.3.88	87-88.
2	80637	7.3.2000	88-89 to 99-2000.

C.I

(K.C.H.No VI)

Scanned with CamScanner